संख्या– 721 /XV-1/14/1(4)/12

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 24 जून, 2014

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत चालू योजनाओं (अनु० संख्या 30 एवं 31) में धनराशि अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–28/नि–5/एक(28)/आय–व्यय/2014–15 दिनांक 01 अप्रैल, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में आय–व्ययक में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष राज्य सैक्टर की निम्न योजना में अनुदान सं० 30 एवं अनुदान सं० 31 में क्रमशः ₹ 21.34 लाखं एव ₹ 11.24 लाख कुल ₹ 32.58 लाख **(₹ बत्तीस लाख अट्ठावन हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतम पर निम्न विवरणानुसार प्रदिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि हजार ₹ में)

अनुदान संख्या–30		अनुदान संख्या–31	
लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	धनराशि	लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	धनराशि
2403–पशुपालन आयोजनागत–00–101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य– 02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान–0207–पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्दों की स्थापना (राज्य सैक्टर योजना)		2403–पशुपालन आयोजनागत–00–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–22–पशुचिकित्सालयों/पशु सेवा केन्दों की स्थापना (राज्य सैक्टर योजना)	
01–वेतन	875	01–वेतन	438
03–महंगाई भत्ता	933	03–महंगाई भत्ता	482
04–यात्रा व्यय	35	04–यात्रा व्यय	0
06–अन्य भत्ते	74	06–अन्य भत्ते	48
08–कार्यालय व्यय	25	08–कार्यालय व्यय	25
09–विद्युत देयक	02	09–विद्युत देयक	04
11–लेखन सामग्री	15	11–लेखन सामग्री	19
12–कार्यालय फर्नीचर	50	12–कार्यालय फर्नीचर	60
17–किराया उपशुल्क कर	05	17–किराया उपशुल्क कर	02
26–मशीन साज सज्जा	10	26–मशीन साज सज्जा	11
31–सामग्री सम्पूर्ति	30	31–सामग्री सम्पूर्ति	00
39–औषधि तथा रसायन	80	39–औषधि तथा रसायन	35
योग	**2134**	**योग**	**1124**
कुल योग अनुदान सं० 30 एवं 31 (2134+1124=3258) (₹ बत्तीस लाख अट्ठावन हजार मात्र)			

(1) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा। नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–30 एवं अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत उक्तानुसार उल्लिखित लेखाशीर्षक के सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या– 721 (1)/XV-1/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4।
8. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव